

प्रेषक, श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में, समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 04 फरवरी, 1999

विषय : फ्री-होल्ड हेतु धनराशि का आंकलन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 01 दिसम्बर, 1998 को व्यवस्थानुसंगत पट्टागत/किराये पर आवंटित नजूल भूमि के फ्री-होल्ड हेतु धनराशि के आंकलन के सम्बन्ध में विभिन्न जिलाधिकारियों द्वारा शासन को मार्गदर्शन दिए जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में फ्री-होल्ड की गणना हेतु निम्न उदाहरण किया जा रहा है :-

1- माना कि दिनांक 30 नवम्बर, 1991 का सर्किल रेट 100/- रु० प्रति वर्ग मीटर

2- भूखण्ड का क्षेत्रफल = 10 वर्ग मी०

3- भू-उपयोग = आवासीय

स्वमूल्यांकन की धनराशि का निर्धारित = $10 \times 40 \times 100 \times 25 \times 100 = \text{रु० } 100$

नोट :- जिन जनपदों में सर्किल रेट 30.11.90 से मध्य परिवर्तित हुये है वहां 30 प्रतिशत की छूट स्वमूल्यांकन की धनराशि पर देय नहीं है अपितु 30 प्रतिशत की छूट फ्री-होल्ड देय धनराशि पर दी जायेगी तथा स्वमूल्यांकन की धनराशि फ्री-होल्ड हेतु देय धनराशि में समयोजित की जायेगी।

2- फ्री-होल्ड हेतु देय धनराशि $100 \times 10 \times 40 / 100 = 400$

(क) स्वमूल्यांकन की धनराशि समायोजित करने पर डिमांड नोटिस में शुद्ध देय धनराशि = $400 - 100 = \text{रु० } 300$

(ख) यदि सर्किल रेट में 30 प्रतिशत की छूट अनुमन्य है तो छूट की धनराशि = $400 \times 30 / 100 = 120$

शुद्ध देय धनराशि $400 - 100 = 280 \text{ रु०}$

एकमुश्त 90 दिन के अन्दर जमा करने पर छुट $280 \times 20 \times 100$ रुपये

शुद्ध देय धनराशि $\text{रु० } 280 - 56 = 224 \text{ रु०}$

नामांकन की दशा में 5 प्रतिशत नामांकन शुल्क फ्री-होल्ड हेतु देय धनराशि पर लिया जाएगा।

अर्थात् $280 \times 5 / 100 = 14 \text{ रु०}$

तदनुसार नामांकन शुल्क जोड़ते हुए डिमांड जोट में देय धनराशि $280 - 14 = 266 \text{ रु०}$

जिन जनपदों में सर्किल रेट में 30 प्रतिशत की छूट देय नहीं है वहाँ 5 प्रतिशत नामांकन शुल्क उपराक्तानुसार शुद्ध देय धनराशि अर्थात् रु० 400 पर ही आंकलित किया जाएगा।

कृपया उपराक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव